[2018] 9 एस.सी.आर. 1052

वेद पाल (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य।

बनाम

वी.प्रेम देवी (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य।

(2014 की सिविल अपील संख्या 8353) 10 अगस्त, 2018

[अभय मनोहर सप्रे और एस अब्दुल नज़ीर, जे.जे.।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – O. XXIII, r.3–A और s.96(3) – उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच हुए कथित समझौते के संदर्भ में दूसरी अपील का निपटारा किया और मुकदमा चलाया – अपीलकर्ताओं द्वारा दायर समीक्षा आवेदन, खारिज कर दिया गया – माना गया: उच्च न्यायालय ने आवेदन में कथित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं की याचिका की ठीक से जांच नहीं की और पाया कि अपीलकर्ता अन्य कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं । XXII, r.3–A वाद दायर करने पर रोक लगाता है, जबकि धारा 96(3) किसी भी अपील को दायर करने पर प्रतिबंध लगाता है, इस प्रकार, विधायी इरादा पक्षकारों को वाद/अपील में पहुंचने के बाद समझौते को चुनौती देने के लिए इन कानूनी उपायों का सहारा लेने की अनुमति नहीं देता है – समीक्षा याचिका में पारित आदेश – मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते

हुए, न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया : 1.1 अपीलकर्ताओं को अपनी समीक्षा याचिका में संशोधन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी जाती है, जो दूसरी अपील में दायर की गई थी, जिस तरह से कथित समझौते के प्रकाश में दूसरी अपील का निपटारा किया गया था, उसके खिलाफ उनकी सभी शिकायतों को उठाया गया था, ताकि उच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिका पर नए सिरे से फैसला कर सके। इस मामले में, इस प्रकृति के मामले में मुकदमा दायर करने के लिए सीपीसी के आदेश 23 नियम 3–ए में निहित प्रतिबन्ध और सीपीसी की धारा 96 (3) के तहत बनाई गई एक अन्य प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स का पालन किया जाता है, जो किसी भी अपील को दायर करने पर रोक लगाता है, हालांकि इस मामले में यह लागू नहीं होता है क्योंकि विवाद सीपीसी की धारा 100 के तहत दायर दूसरी अपील में उत्पन्न हुआ था। विधायी आशय पार्टियों को

मुकदमा/अपील में आने के बाद समझौते को चुनौती देने के लिए इन कानूनी उपायों का सहारा लेने की अनुमति नहीं देता है। एकमात्र अपवाद यह है कि यदि चुनौती धोखाधड़ी के आधार पर स्थापित की गई है।

किसी भी न्यायिक आदेश को प्राप्त करने में पार्टियों द्वारा प्रतिबद्ध, मुकदमा, उचित मामले में, झूठ बोल सकता है। [पैरा 6-8] [1054-ई-एच; 1055-ए]

1.2 इस मामले में, उच्च न्यायालय ने आवेदन में कथित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं की याचिका की ठीक से जांच नहीं की और हमले को नकारते हुए कहा कि अपीलकर्ता किसी भी अन्य कानूनी उपचार का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। चूंकि समझौते के आलोक में पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली दूसरी अपील का निपटान किया गया था, इसलिए इस मुद्दे की फिर से जांच करने के लिए उचित मंच उच्च न्यायालय है, जिसने इस स्तर पर इस मुद्दे की जांच करने के लिए किसी अन्य मंच के बजाय दूसरी अपील का निपटारा किया। यह तब और अधिक है जब उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर कार्यवाही में अपने सही परिप्रेक्ष्य में विवरण पर ध्यान नहीं दिया। [पैरा 9] [1055-B-C]

1.3. पुनर्विचार याचिका में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है और उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मामले पर नए सिरे से निर्णय ले। अपीलकर्ताओं को पुनर्विचार याचिका में संशोधन करने या /और उसमें लगाए गए आदेश पर हमला करने के लिए सभी कानूनी रूप से स्वीकार्य आधारों को उठाते हुए नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है। प्रतिवादियों को भी कानून के अनुसार आपत्तियां उठाने की स्वतंत्रता है। [पैरा 11, 13] [1055-डी-ई, एफ-जी]
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के चंडीगढ़ स्थित उच्च न्यायालय के 2003 के समीक्षा आवेदन संख्या 4576 और 2006 की समीक्षा आवेदन संख्या 75-सी क्रमशः के निर्णय और आदेश से की सिविल अपील

अक्षत गोयल, मनोज स्वरूप, विवेक शर्मा, अंशुल गर्ग, यश पाल ढींगरा, राजशेखर राव, अभिनव मुखर्जी, अभिनव मुखर्जी, चैतन्य पुरी, सुश्री गौरी पुरी, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1 द्वारा दिया गया था। यह अपील 26.09.2006 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2003 के आरएसए संख्या 4576 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में दूसरी अपील का निपटारा किया और मुकदमा सुनाया। उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ताओं ने यहां पुनर्विचार याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स् [2018] 9 एस.सी.आर.

2003 के आरएसए संख्या 4576 में 2006 की संख्या 75–सी जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.01.2007 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

2. इस अपील के निपटान के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

3. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.02.2003 के निर्णय और डिक्री को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की, जो घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर एक सिविल मुकदमे में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित दिनांक 31.03.2001 के निर्णय/डिक्री से उत्पन्न हुआ था। यहां अपीलकर्ताओं को दूसरी अपील में प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के रूप में पेश किया गया था, जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है।

4. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने, हालांकि, दिनांक 26.09.2006 के आक्षेपित आदेश द्वारा दूसरी अपील को समझौते के आलोक में निपटा दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। दूसरे शब्दों में, दूसरी अपील गुण–दोष के आधार पर तय नहीं की गई थी, बल्कि पार्टियों के बीच हुए समझौते के आलोक में निपटाई गई थी।

5. अपीलकर्ताओं ने दूसरी अपील के निपटान से व्यथित महसूस किया और समीक्षा याचिका दायर की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया, जिसने अपील के निपटान और समीक्षा याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर करने को जन्म दिया है।

6. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हम आंशिक रूप से अपील की अनुमति देने और समीक्षा याचिका में पारित आदेश को रद्द करने के इच्छुक हैं और अपीलकर्ताओं को अपनी समीक्षा याचिका में संशोधन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर करने की अनुमति देते हैं, जो दूसरी अपील में दायर की गई है। कथित समझौते के आलोक में दूसरी अपील के निपटारे के तरीके के खिलाफ अपनी सभी शिकायतों को उठाना ताकि उच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिका पर नए सिरे से फैसला कर सके।

7. इस मामले में, हम इस प्रकृति के मामले में मुकदमा दायर करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 3-ए (संक्षेप में 'सीपीसी') में निहित प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए और सीपीसी की धारा 96 (3) के तहत बनाई गई एक अन्य प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग का पालन करना पसंद करते हैं, जो किसी भी अपील को दायर करने पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि इस मामले में यह लागू नहीं होता है क्योंकि विवाद सीपीसी की धारा 100 के तहत दायर दूसरी अपील में उत्पन्न हुआ था।

8. इन दो प्रावधानों का संदर्भ देने का उद्देश्य विधायी इरादे को दिखाना है जो पार्टियों को वाद/अपील में समझौते को चुनौती देने के लिए इन कानूनी उपायों का सहारा लेने की अनुमति नहीं देता है। । एकमात्र अपवाद यह है कि यदि चुनौती किसी भी न्यायिक आदेश को प्राप्त करने में पार्टियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के आधार पर स्थापित की जाती है, तो उचित मामले में मुकदमा निहित हो सकता है।

9. इस मामले में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने आवेदन में कथित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं की याचिका की ठीक से जांच नहीं की और हमले को नकारते हुए कहा कि अपीलकर्ता किसी भी अन्य कानूनी उपचार का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। चूंकि समझौते के आलोक में पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली दूसरी अपील का निपटान किया गया था, इसलिए हमारी राय में, इस मुद्दे की फिर से जांच करने के लिए उचित मंच उच्च न्यायालय है, जिसने इस स्तर पर इस मुद्दे की जांच करने के लिए किसी अन्य मंच के बजाय दूसरी अपील का निपटारा किया। यह तब और अधिक हो जाता है जब हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर कार्यवाही में अपने सही परिप्रेक्ष्य में विवरण पर ध्यान नहीं दिया।

10. इस कारण से, हम इस अपील में पक्षकारों द्वारा आग्रह किए गए कई तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दों की जांच करने से इनकार करते हैं और इन मुद्दों को कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए उच्च न्यायालय पर छोड़ देते हैं।

11. इस प्रकार अपील सफल होती है और आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। समीक्षा याचिका में पारित दिनांक 29-01-2007 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है और उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह गुण-दोष पर हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मामले पर नए सिरे से निर्णय ले, जिसमें हमने हस्तक्षेप से परहेज किया है और मामले को इसके निपटान के लिए उच्च न्यायालय को सौंपने की राय बनाई है।

12. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि दूसरी अपील का निपटान करने वाला विद्वान

न्यायाधीश, इस न्यायालय के निर्देशानुसार मामले पर निर्णय लेने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो समीक्षा मामलों के निपटान को नियंत्रित करने वाले उच्च न्यायालय के नियमों के साथ सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 और 5 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामले को उचित पीठ के समक्ष रखा जाए।

13. अपीलकर्ताओं को पुनर्विचार याचिका में संशोधन करने या / और नए सिरे से आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है, जिसमें लागू आदेश पर हमला करने के लिए सभी कानूनी रूप से स्वीकार्य आधार उठाए गए हैं। प्रतिवादियों को भी कानून के अनुसार आपत्तियां उठाने की स्वतंत्रता है।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

अनुवाद द्वारा–

प्रतिभा सक्सेना–II
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बरेली।